

[2024] 7 एससीआर 979 : 2024 आईएनएससी 546

परविंदर सिंह खुराना

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय

(आपराधिक अपील सं. 3059-3062/2024)

23 जुलाई 2024

[न्या. अभय एस. ओका एवं न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह]

विचारणीय विवादक

इन अपीलों में शामिल विवादक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 की उप-धारा (2) के तहत जमानत रद्द करने के आवेदन के निपटान तक जमानत प्रदान करने वाले आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 483 की उप-धारा (3) दं.प्र.सं. की धारा 439 की उप-धारा (2) का तत्स्थानी प्रावधान है।

शीर्ष टिप्पण

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 (3) - जमानत रद्द करने के लिए आवेदन - केवल असाधारण मामलों में ही जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की शक्ति:

अभिनिर्धारित: दं.प्र.सं. की धारा 439 (2) या बीएनएसएस की धारा 483(3) के तहत किए गए आवेदन या जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अन्य कार्यवाही में, जमानत के आदेश के प्रवर्तन पर अंतरिम रोक लगाने की शक्ति का उपयोग केवल असाधारण मामलों में किया जा सकता है जब जमानत रद्द करने के लिए

आधारों के अस्तित्व का एक अत्यंत सुदृण प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है - जमानत देने के आदेश पर रोक लगाते समय, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए कि मामला असाधारण था एवं एक स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। [पैरा 20(क)]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 - जमानत आदेश पर एक पूर्व - पक्षीय अंतरिम रोक नहीं दी जानी चाहिए:

अभिनिर्धारित: एक सामान्य नियम के रूप में, जमानत आदेश की एकपक्षीय रोक नहीं दी जानी चाहिए - उक्त शक्ति का प्रयोग केवल दुर्लभ एवं विरल मामलों में किया जा सकता है जहां परिस्थिति इस तरह के कठोर आदेश को पारित करने की मांग करती हो। - जहां रोक का इतना कठोर एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अंतरिम राहत को जारी रखने के अनुरोध पर अभियुक्त को तुरंत सुने-जब न्यायालय जमानत देने वाले आदेश पर एक पक्षीय और अंतरिम रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग करती है, तो न्यायालय उन कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है कि वह इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंची कि यह एक बहुत ही दुर्लभ एवं विरल मामला था जहां एकपक्षीय अंतरिम रोक का कठोर आदेश आवश्यक था। [पैरा 20 (ख)]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 (3) - प्रत्यर्थी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय एक अपराध हेतु एक ईसीआईआर दर्ज किया गया था। - इसके बाद, एक शिकायत दर्ज की गई थी पीएमएलए की धारा 44(1)(बी) के तहत - अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था - दिनांक 17.06.2023 के आदेश द्वारा, विशेष न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 167(2) के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि,

यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद नियमित जमानत प्रदान कर दी गयी थी कि पीएमएलए की धारा 45(1)(ii) के तहत जमानत प्रदान किए जाने हेतु शामिल दोहरी शर्तों को अपीलार्थी द्वारा पूर्ण किया गया था। - प्रत्यर्थी - ईडी ने दं.प्र.सं. की धारा 439(2) के तहत जमानत रद्द करने हेतु आवेदन किया - दिनांक 23.06.2023 को, उच्च न्यायालय ने जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी - कई रोकों के पश्चात, दिनांक 22.05.2024 पर अपीलार्थी को अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई:

अभिनिर्धारित: आदेश दिनांकित 23.06.2023 अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करता है - हालांकि, उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से पूर्व अधिवक्ता को नहीं सुना - यह रोक लगाने का एक एकपक्षीय आदेश था - अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने में विफलता एवं कारणों को दर्ज करने में विफलता रोक के आदेश को निष्फल करती है - आदेश दिनांकित 23.06.2023 इंगित करता है कि रोक लगाने की मंजूरी के लिए प्रार्थना के गुणागुण पर ध्यान दिए बिना रोक दी गई थी-न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि जमानत आदेश पर रोक लगाने का कठोर आदेश 11 महीने तक जारी रहा था जो गुण-दोष पर विचार किए बिना पारित किया गया था-23.06.2023 से जून 2024 के अंत तक, जमानत रद्द करने के लिए आवेदन 28 अलग-अलग तिथियों पर सूचीबद्ध किया गया था - आदेश के अवलोकन पर दिनांक 17.06.2023 को नियमित जमानत देते हुए विशेष न्यायालय द्वारा पारित, यह एक निष्कर्ष दर्ज करता है कि अपीलार्थी ने पीएमएलए की धारा 45(1)(ii) के तहत जमानत देने की शक्ति की शर्तों का एक मामला बनाया है - जमानत रद्द करने के आवेदन में जमानत आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है। - उक्त आवेदन में सभी आधार गुणागुण पर हैं - उक्त आदेश (17.06.2023) के अवलोकानोपरांत, इस न्यायालय ने पाया कि यह मामला ऐसा नहीं था जिसे एक दुर्लभ तथा असाधारण मामला कहा जा सकता था जहां जमानत

देने के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए - इसलिए, उस आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।
[पैरा 14, 15, 16, 19, 21]

उद्धृत निर्णय विधि

गुलाबराव बाबूराव देवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य [2013] 16 एससीआर 1181 : (2013) 16 एससीसी 190; नरेंद्र कुमार अमीन बनाम सीबीआई (2015) 3 एससीसी 417; पूरन बनाम रामबिलास [2001] 3 एससीआर 432:(2001) 6 एससीसी 338 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023।

मुख्य शब्दों की सूची

जमानत; नियमित जमानत; जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक; जमानत रद्द करने के लिए आधार; असाधारण मामले; जमानत आदेश पर एकपक्षीय अंतरिम रोक; जमानत आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग; रोक लगाने के लिए प्रार्थना के गुण-दोष पर ध्यान देना; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483(3)।

मामला उद्भूत होता है

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील सं. 3059-3062/2024

आप.वि.वा. सं. 4374/2023 तथा आप.वि.वा. सं. 4374/2023 में आप.वि.आ. सं. 16638/2023 तथा आप.वि.आ. सं. 16638/2023 में दिनांक 22.05.2024 और आप.वि.वा. सं. 4374/2023 में आप.वि.आ. सं. 13874/2024 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से।

पक्षकारों हेतु उपस्थिति

सुधांशु शशिकुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मधुस्मिता बोरा, हर्ष सेठी, पवन किशोर सिंह, दीपांकर सिंह, अनंत निगम, राघव लूथरा, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण।

तुषार मेहता, एसजी, जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, विवेक गुरनानी, अभिप्रिया, विवेक गौरव, सम्राट गोस्वामी, सुश्री आकृति मिश्रा, अरविंद कुमार शर्मा, प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. अभय एस. ओका,

1. अनुमति प्रदानित।

अंतर्भूत विवादक

2. इन अपीलों में अंतर्भूत विवादक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.')
- की धारा 439 की उप-धारा (2) के तहत जमानत रद्द करने के आवेदन के निपटान तक जमानत देने वाले आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में, 'बीएनएसएस') की धारा 483 की धारा (3) दं.प्र.सं. की धारा 439 की उप-धारा (2) का संबंधित प्रावधान है। यह विवादक जमानत देने के आदेश को चुनौती देने हेतु अपनाई गई अन्य कार्यवाहियों में भी उद्भूत होता है।

वास्तविक पहलू

3. दिनांक 1 दिसंबर 2020 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दो कंपनियों और दो व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 120-बी सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 व 471 सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) व धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों

हेतु अपराध पंजीकृत किए। अपराध का विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, जे पॉलिकेम इंडिया लिमिटेड का ऋण खाता था। दिनांक 23 फरवरी 2021 को, प्रत्यर्थी प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (संक्षेप में 'पीएमएलए') की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। ईसीआईआर में ग्यारह व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया था। हालांकि, अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नहीं दर्शाया गया था। दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को प्रत्यर्थी ने पीएमएलए की धारा 44(1)(ख) के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में भी अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नहीं दर्शाया गया था। दिनांक 31 अक्टूबर 2020 से दिनांक 20 जनवरी 2023 तक, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को कई बार अन्वेषण हेतु बुलाया। हालांकि अपीलार्थी ने सहयोग किया, लेकिन दिनांक 20 जनवरी 2023 को अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया।

4. अपीलार्थी द्वारा की गई पहली जमानत याचिका को विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। दिनांक 17 मार्च 2023 को, प्रत्यर्थी ने पीएमएलए के तहत एक पूरक शिकायत दर्ज की जिसमें अपीलार्थी को एक अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया था। अप्रैल 2023 में, अपीलार्थी ने जमानत के लिए दो अलग-अलग आवेदन दायर किए। पहले आवेदन में, दं.प्र.सं. की धारा 167(2) के तहत व्यतिक्रम पर जमानत देने का अनुरोध किया गया था। दूसरा आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत देने के लिए था। दिनांक 17 जून 2023 के आदेश से, हालांकि विशेष न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद नियमित जमानत दे दी कि अपीलार्थी ने पीएमएलए की धारा 45(1)(ii) में जमानत प्रदान किये जाने के लिए निहित दोनों शर्तों को पूर्ण किया है। दिनांक 21 जून 2023 को प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के तहत आवेदन किया। दिनांक 23 जून 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश

न्यायाधीश के रूप में कार्यरत विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले को दिनांक 26 जून 2023 को दोपहर 02:30 बजे उनके समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, और इस बीच, जमानत देने के आदेश पर रोक बनी रहेगी। यह पहला आक्षेपित आदेश है। दिनांक 26 जून 2023 को सुनवाई नहीं हो सकी। दिनांक 28 जून, 2023 को इस मामले को एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने अंतरिम राहत जारी रखी। इसके बाद, आवेदन को समय-समय पर स्थगित किया गया। एक बार जब जमानत रद्द करने के आवेदन पर एक विद्वान न्यायाधीश के समक्ष पूरी तरह से बहस की गई तथा आदेश सुरक्षित कर लिया गया। हालांकि, न्यायाधीश ने खुद को मामले से अलग कर लिया। इसके बाद, दो बार और ऐसा किया गया।

5. दिनांक 2 मई 2024 को जमानत रद्द करने के आवेदन को दिनांक 9 जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 3 मई 2024 को, अपीलार्थी ने रोक आदेश को बातिल करने के लिए आवेदन किया। आवेदन दिनांक 22 मई 2024 को सूचीबद्ध किया गया था। रोक आदेश को बातिल करने के लिए आवेदन पर समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक आदेश पारित कर निर्देश दिया कि मुख्य आवेदन की सुनवाई दिनांक 9 जुलाई 2024 को की जाएगी जो पहले तय की गई तारीख थी। हालांकि, विद्वान न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
6. दिनांक 23 जून 2023 को पारित रोक लगाने वाले पहले आदेश तथा दिनांक 22 मई 2024 के दूसरे आदेश से व्यथित अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए अपीलार्थी, इन अपीलों को दायर किया गया है। इस न्यायालय ने दिनांक 7 जून 2024 के आदेश द्वारा दिनांक 23 जून 2023 के रोक आदेश पर रोक लगा दी और स्पष्ट किया कि अपीलार्थी जमानत देने वाले विशेष न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17 जून 2023 के आदेश का लाभ उठाने का हकदार होगा। तदनुसार, अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

प्रस्तुतियाँ

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमें उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों से अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि जमानत आवेदन रद्द करने के लिए दिनांक 23 जून 2023 से जुलाई 2024 तक 24 से 25 तिथियां सूचीबद्ध की गयी थी। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय सुरक्षित रखने के बाद खुद को मामले से अलग कर लिया। उसके बाद, दो अन्य विद्वान एकल न्यायाधीशों ने खुद को मामले से अलग कर लिया। उनका निवेदन है कि जमानत देने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 जून 2023 को मामले के गुण-दोष की जांच किए बिना और कोई कारण दर्ज किए बिना आकस्मिक रूप से रोक लगा दी थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि जमानत देने वाले आदेश का लाभ बिना किसी विवेक के पारित किए गए अंतरिम रोक के इस तरह के गुप्त आदेश द्वारा छीनने की अनुमति दी जाती है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपीलार्थी को दी गई स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा।
8. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दस्तावेजों का एक संकलन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में, इस न्यायालय ने भी बिना किसी कारण के जमानत रद्द करने के अनुरोध पर नोटिस जारी करते हुए जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी थी। गुलाबराव बाबूराव देवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा नरेंद्र कुमार अमीन बनाम सीबीआई के मामले में इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि जमानत रद्द करने की शक्ति उन नियमों और शर्तों के भंग के आधार तक सीमित नहीं है जिन पर जमानत दी गई थी। यदि जमानत देने का आदेश अनुचित, अवैध या विकृत है, तो जमानत रद्द करने का आदेश पारित किया जा सकता है। उन्होंने पूरन बनाम रामबिलास के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब जमानत देने के आदेश को अपास्त या रद्द करने की शक्ति होती है, तो जमानत रद्द करने की प्रार्थना के अंतिम निर्णय तक आदेश पर रोक लगाने की शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है। उन्होंने बताया कि उसी विद्वान

विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 10 मार्च 2023 के आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा की गई नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, और केवल तीन महीने के बाद, दिनांक 17 जून 2023 को, उसी विद्वान न्यायाधीश ने जमानत दे दी, हालांकि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को लगाई गई अंतरिम रोक न्यायोचित थी।

प्रस्तुतियों पर विचार

जमानत रद्द करने के आधार

9. धारा 439(2) के तहत जमानत रद्द करने के लिए उपलब्ध आधारों के संबंध में, हम सहजता से गुलाबराव बाबूराव देवकर मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 27 में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:-

"27. इस प्रकार, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1) के प्रावधान की अनिवार्य आवश्यकता का भंग करते हुए पारित किया गया आदेश था। यह अभिलेख पर उपस्थित सामग्री की अनदेखी करने वाला एक आदेश भी है, और इसलिए यह बिना किसी औचित्य एवं विकृत है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूरन बनाम रामबिलास [(2001) 6 एससीसी 338:2001 एससीसी (सीआरआई) 1124], में अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के तहत जमानत देने वाले अन्यायपूर्ण, अवैध या विकृत आदेश को अपास्त करने की शक्ति निहित है। यह रद्द करने के लिए अभियुक्त द्वारा स्वयं के साथ दुर्यवहार करने के आधार के अतिरिक्त एक स्वतंत्र आधार है।"

(जोर दिया गया)

जैसा कि पूरन बनाम रामबिलास के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। इस आधार के अतिरिक्त कि अभियुक्त ने उन नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया है जिन पर जमानत दी जाती है, यदि उसने अन्यथा दुराचार किया है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जमानत को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। जमानत रद्द की जा सकती है यदि जमानत का आदेश पूरी तरह से अनुचित, स्पष्ट रूप से अवैध या विकृत है। एक बार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दं.प्र.सं. की धारा 439(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करके जमानत को रद्द करने के लिए शक्ति निहित है, यह इस प्रकार है कि जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने की शक्ति आवेदनों से निपटने वाले न्यायालय में निहित है। प्रश्न रोक की शक्ति के प्रयोग की रूपरेखा के विषय में है।

जमानत प्रदान करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक की शक्ति

10. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों में काफी कटौती हो जाती है। विधि अभियुक्त की गिरफ्तारी की अनुमति देती है जैसा कि दं.प्र.सं. या बीएनएसएस में प्रावधान किया गया है। दं.प्र.सं. की धारा 437 व 439 (बीएनएसएस की धारा 480 व 483) के प्रावधानों के तहत जमानत देने का प्रभाव यह है कि विचाराधीन अभियुक्त की स्वतंत्रता को वाद के लंबित रहने तक बहाल किया जाता है, बशर्ते कि अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करे। जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय ऐसे आदेश पर रोक लगाता है, तो यह जमानत के आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता को छीनने के समान है। जब जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को जमानत आदेश पर रोक की तीव्र अंतरिम राहत देने में अत्यंत संयम बरतना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब जमानत देने के लिए सक्षम न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का हकदार पाता है, जब तक कि उक्त आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 439 की उप-धारा (2) या किसी अन्य कार्यवाही के तहत उपलब्ध आधारों पर इसे अपास्त करने के सीमित आधार नहीं पाता है, तो जिस अभियुक्त को जमानत दी गई है, उसे आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। भले ही जमानत देने के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है, लेकिन अगर जमानत अंततः रद्द कर दी जाती है तो अभियुक्त को हमेशा हिरासत में लिया जा सकता है।

11. जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन पर नोटिस जारी करते समय, रोक का एक कठोर आदेश पारित किए बिना, यदि तथ्यों की आवश्यकता है, तो उच्च न्यायालय, एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, अभियुक्त पर अतिरिक्त जमानत की शर्तें लगा सकता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त फरार न हो जाए। हालांकि, जमानत रद्द करने के लिए आवेदन विचाराधीन रहने के दौरान जमानत देने वाले आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाला आदेश बहुत ही दुर्लभ मामलों में पारित किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब किसी विचाराधीन व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता बहाल हो जाती है, जिसे सहजता से नहीं लिया जा सकता है। विचाराधीन बंदी दोषसिद्ध नहीं है। अंतिम राहत की सहायता में एक अंतरिम राहत दी जा सकती है, जिसे अंततः कार्यवाही में दिया जा सकता है। जमानत रद्द होने के बाद अभियुक्त को हिरासत में लेना पड़ता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि रोक नहीं दी जाती है, तो जमानत रद्द करने का अंतिम आदेश, यदि पारित हो जाता है, तो लागू नहीं किया जा सकता है। यदि रोक के आवेदन की सुनवाई से पहले अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो जमानत रद्द करने के लिए दायर आवेदन/कार्यवाही निष्फल नहीं होती है। जमानत देने के आदेश पर रोक की अंतरिम राहत आवश्यक रूप से अंतिम राहत की सहायता में नहीं है।
12. जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय हमेशा यह सुनिश्चित कर सकता है कि अभियुक्त को शीघ्र अति शीघ्र नोटिस

दिया जाए और आवेदन पर तेजी से सुनवाई हो। जमानत देने के आदेश पर न्यायालय द्वारा केवल असाधारण मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है जैसे जब जमानत रद्द करने के लिए आधारों के अस्तित्व का एक अत्यंत ठोस प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रथम दृष्टया मामला बहुत उच्च मानक का होना चाहिए। व्याख्या के माध्यम से, हम एक ऐसे मामले की ओर संकेत कर सकते हैं जहां जमानत किसी भी कारण या दिमाग के अनुप्रयोग को दर्ज किए बिना एक बहुत ही गुप्त आदेश द्वारा दी जाती है। एक अन्य उदाहरण एक ऐसे मामले का हो सकता है जहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके अभियुक्त द्वारा की गई स्वतंत्रता के गंभीर दुरुपयोग को साबित करने के लिए अभिलेख पर सामग्री उपलब्ध है, जैसे कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी देना। यदि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रोक देने के लिए एक असाधारण मामला बनता है, न्यायालय को संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए और इस तरह के निष्कर्ष पर आने के लिए आधार निर्धारित करने चाहिए।

13. मानक नियम के रूप में जमानत देने के आदेश पर एक पक्षीय रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। जमानत देने के आदेश पर एक पक्षीय अंतरिम रोक लगाने की शक्ति का उपयोग बहुत ही दुर्लभ एवं असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए जहां स्थिति इस तरह के आदेश को पारित करने की मांग करती है। एक पक्षीय रोक देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, संबंधित न्यायालय को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या मामला अत्यंत असाधारण है, जमानत देने वाले आदेश पर एक पक्षीय रोक देने के लिए कठोर शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। जमानत देने के आदेश के तहत किसी अभियुक्त को दी गई स्वतंत्रता को जमानत आदेश पर रोक लगाने का एक पक्षीय आदेश यंत्रवत रूप से प्रदान कर गैर गंभीर या आकस्मिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय को विशिष्ट कारणों को दर्ज करना चाहिए कि उसने यह निष्कर्ष क्यों निकाला जो यह स्थापित करे कि यह एक बहुत ही दुर्लभ और असाधारण मामला था जिसमें एक पक्षीय अंतरिम रोक

का एक बहुत ही कठोर आदेश आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, चूंकि इसमें शामिल विवादक संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अभियुक्त के स्वतंत्रता के अधिकार का है, यदि अभियुक्त को एक संक्षिप्त नोटिस जारी करके एकपक्षीय रोक दी जाती है, तो न्यायालय को रोक जारी रखने पर उसे तुरंत सुनना चाहिए।

मामले के तथ्यों पर

14. अब हम मामले के तथ्यों पर आते हैं। दिनांक 23 जून 2023 के आदेश में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज की गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय को रोक लगाने से पहले अधिवक्ता को सुनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, रोक का यह एक एकपक्षीय आदेश था। अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने में विफलता और कारणों को दर्ज करने में विफलता रोक के आदेश को निष्फल करती है। जमानत रद्द करने का आवेदन दिनांक 23 जून 2023 को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 23 जून 2023 के आदेश से संकेत मिलता है कि इसके बिना भी रोक की मंजूरी के लिए प्रार्थना के गुणागुणों को ध्यान में रखते हुए, एक पक्षीय रोक दी गई और आवेदन को दिनांक 26 जून 2023 को दोपहर 02:30 बजे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। लेकिन उस दिन मामले की सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 23 जून 2023 के बाद, मामला दिनांक 28 जून को एक अन्य एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उन्होंने निर्देश दिया कि मामले को दिनांक 3 जुलाई 2023 को रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। रोक का आदेश बढ़ा दिया गया था। दिनांक 3 जुलाई 2023 को मामले को दिनांक 14 जुलाई 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिनांक 14 जुलाई 2023, दिनांक 7 अगस्त 2023 तथा दिनांक 17 अगस्त 2023 को जमानत रद्द करने के आवेदन पर दलीलें सुनी गईं। किसी न किसी कारण से, दिनांक 28 अगस्त 2023, दिनांक 5 सितंबर 2023, दिनांक 4 अक्टूबर 2023, दिनांक 16 अक्टूबर 2023, दिनांक 19 अक्टूबर 2023 तथा दिनांक 3 नवंबर 2023 को आगे की दलीलें नहीं सुनी जा सकीं। इस बीच,

जमानत देने के आदेश पर रोक की अंतरिम राहत समय-समय पर जारी रही।

15. दिनांक 10 नवंबर 2023 को पारित उच्च न्यायालय के आदेश में दर्ज है कि दलीलें सुनी गईं एवं निर्णय सुरक्षित रखा गया। उसके बाद, दिनांक 22 दिसंबर 2023 को, आवेदन को निर्देशों हेतु सूचीबद्ध किया गया था जब विद्वान न्यायाधीश, जिन्होंने दलीलें सुनी थीं, ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया था कि आवेदन को किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। दिनांक 8 जनवरी 2024 से दिनांक 5 मार्च 2024 तक, आवेदन को बिना किसी सुनवाई के बारंबार स्थगित किया गया। दिनांक 5 मार्च, 2024 को मामले को दिनांक 11 मार्च, 2024 के लिए पुनः सूचीबद्ध किया गया। दिनांक 11 मार्च 2024 को, विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष मामला पहले की आठ तारीखों पर सूचीबद्ध किया गया था, ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। दिनांक 12 मार्च 2024 को मामला एक अन्य एकल न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने फिर से स्वयं को इस मामले से अलग करने का आदेश पारित किया। संयोग से, उन्हीं विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 23 जून 2023 को एकपक्षीय रोक का आदेश पारित किया था। उसके बाद, मामले को दिनांक 18 मार्च, दिनांक 10 अप्रैल तथा दिनांक 2 मई 2024 को स्थगित किया गया। दिनांक 2 मई 2024 को मामले को फिर से दिनांक 9 जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित किया गया। इसने अपीलार्थी को अंतरिम रोक को बातिल करने के लिए आवेदन करने के लिए विवश किया। रोक बातिल करने के लिए आवेदन दिनांक 22 मई 2024 को सूचीबद्ध किया गया था, जिस पर समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हुई थी, और यहां तक कि उक्त आवेदन को दिनांक 9 जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो पहले से ही निर्धारित तिथि थी। दिनांक 22 मई, 2024 का उक्त आदेश के पठन सुखद अनुभूति नहीं होती है। आदेश इस प्रकार है:

"1. समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।

2. मामले को 12:30 बजे दिनांक 09.07.2024 हेतु सूचीबद्ध किया जाए।

3. मामले में किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में या किसी भी आधार पर जिसके लिए याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत लेना चाहता है, ऐसा करना उसकी अधिकारिता के भीतर होगा तथा विधि अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

4. अंतरिम आदेश(शौं), यदि कोई हो, सुनवाई की अगली तिथि तक जारी रहेंगे।

5. इस आदेश की प्रति कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत दस्ती दी जाए।

6. आदेश को वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जाए।”

रोक बातिल करने के लिए न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। अंतरिम राहत को बातिल करने के लिए आवेदन को स्पर्श किए बिना भी अपीलार्थी को अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देने के औचित्य को समझना बहुत मुश्किल है। उच्च न्यायालय ने रोक हटाने के आवेदन पर सुनवाई की अत्यधिक तात्कालिकता को नजरअंदाज कर दिया। न्यायालय ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि जमानत आदेश पर रोक का कठोर आदेश 11 महीने तक जारी रहा था जिसे गुणागुण पर विचार किए बिना पारित कर दिया गया था। अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के निर्देश से कोई सांत्वना नहीं मिली कि उक्त आदेश की एक प्रति दस्ती दी जाए और उसे तुरंत अपलोड किया जाए।

16. इस मामले में, दिनांक 23 जून 2023 के पहले आक्षेपित आदेश से यह इतना स्पष्ट है कि जमानत देने के आदेश पर गुणागुण पर विचार किए बिना यांत्रिक रूप से रोक लगा दी गई थी। दिनांक 26 जून 2023 को दोपहर 02:30 बजे आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यदि जमानत रद्द करने के लिए मुख्य आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी तो उच्च

न्यायालय को दिनांक 26 जून 2023 को अंतरिम राहत के अनुरोध पर पक्षकारों को सुनना चाहिए था। दिनांक 23 जून 2023 से जून 2024 के अंत तक, जमानत रद्द करने के लिए आवेदन को 28 अलग-अलग तिथियों पर सूचीबद्ध किया गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, तीन बार मामले से अलग हुए थे। निर्णय सुरक्षित रखने के एक महीने से अधिक समय बाद भी एक बार मामले से अलग होना हुआ था। इन सब का परिणाम यह है कि मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना दिनांक 23 जून 2023 को पारित किया गया रोक का एकपक्षीय आदेश एक वर्ष तक जारी रहा। इस प्रकार, अभियुक्त की सुनवाई किए बिना दिया गया रोक आदेश गुण-दोष के आधार पर अभियुक्त की सुनवाई किए बिना एक वर्ष से अधिक समय तक विद्यमान रहा। क्या इस तरह का दृष्टिकोण अपीलार्थी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यह एक गंभीर प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना चाहिए। यह कहने के अलावा कि यह एक खेदजनक स्थिति है, हम आगे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें संयम बरतना चाहिए। अंततः, बातिल करने के क्रम में, इस न्यायालय ने दिनांक 7 जून 2024 को रोक के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे एक साल पहले पारित दिनांक 17 जून 2023 के आदेश के संदर्भ में अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

17. तीन विद्वान न्यायाधीशों के खुद को इस मामले से अलग करने के लिए अच्छे कारण हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से, गुण-दोष पर विचार किए बिना पारित जमानत के आदेश पर रोक लगाने वाला एक पक्षीय आदेश अंतरिम आदेश को जारी रखने के मुद्दे पर अपीलार्थी की सुनवाई के बिना एक साल तक जारी नहीं रह सकता है। सभी न्यायालयों को हमारे संविधान के तहत प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के बारे में संवेदनशील होना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है।
18. अपीलार्थी द्वारा दायर नियमित जमानत के लिए पहला आवेदन विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 के आदेश द्वारा खारिज कर

दिया गया था। दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को पहली शिकायत दर्ज करने के बाद आगे की जांच जारी थी। अपीलार्थी को अभिनिर्धारित प्राथमिकी या पीएमएलए के तहत पहली शिकायत में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था। पहली जमानत याचिका खारिज होने के सात दिनों के भीतर, दूसरी शिकायत दर्ज की गई जिसमें अपीलार्थी को पहली बार अभियुक्त के रूप में दिखाया गया था। शिकायत दर्ज करने को ध्यान में रखते हुए, पूरक शिकायत द्वारा लाई गई परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर अपीलार्थी के लिए दूसरा जमानत आवेदन दायर करने की अनुमति थी। परिवर्तन यह था कि अपीलार्थी के खिलाफ जांच पूर्ण हो गई थी।

19. हमने नियमित जमानत देने वाले दिनांक 17 जून 2023 के आदेश का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। एक विस्तृत चर्चा के बाद, यह एक निष्कर्ष दर्ज करता है कि अपीलार्थी ने जमानत देने की शक्ति पर पीएमएलए की धारा 45(1)(ii) के संदर्भ में मामला बनाया है। हमने प्रत्यर्थी द्वारा रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए जमानत के आवेदन पर विचार किया है। हम उक्त आवेदन में जमानत आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं पाते हैं। सभी आधार गुण-दोष पर आधारित हैं। दिनांक 17 जून 2023 को जमानत देने का आदेश 50 से अधिक पृष्ठों का एक विस्तृत आदेश है, जो पीएमएलए के तहत दोनों शिकायतों से अभिलेख पर उपस्थित सामग्री पर विचार करता है। उक्त आदेश पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसे एक दुर्लभ और असाधारण मामला कहा जा सकता था जहां जमानत देने वाले आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए थी।

20. हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं

क. दं.प्र.सं. की धारा 439(2) या बीएनएसएस की धारा 483(3) या जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अन्य कार्यवाही के तहत किए गए आवेदन में, जमानत के आदेश के प्रवर्तन पर अंतरिम रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण मामलों में किया

जा सकता है जब जमानत रद्द करने के लिए आधारों के अस्तित्व का एक अत्यंत ठोस प्रथम दृष्टया मामला बनता हो। जमानत देने के आदेश पर रोक लगाते समय, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए कि मामला असाधारण था तथा प्रथम दृष्टया एक ठोस मामला बनता है।

ख. एक सामान्य नियम के रूप में, जमानत आदेश पर एक पक्षीय रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उक्त शक्ति का प्रयोग केवल दुर्लभ एवं अत्यंत ही असाधारण मामलों में किया जा सकता है जहां स्थिति इस तरह के कठोर आदेश को पारित करने की मांग करती है। जहां रोक का ऐसा कठोर एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है, यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त की अंतरिम राहत जारी रखने की प्रार्थना पर तुरंत सुनवाई करे। जब न्यायालय जमानत देने वाले आदेश पर एक पक्षीय और अंतरिम रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग करता है, तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है कि यह एक अत्यंत ही दुर्लभ एवं असाधारण मामला था जिसमें एक पक्षीय अंतरिम रोक का कठोर आदेश आवश्यक था।

21. इसलिए, अपीलों को सफल होना चाहिए। हमने उन आक्षेपित आदेशों को दरकिनार करते हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी थी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जमानत रद्द करने के आवेदन की सुनवाई लंबित रहने तक, विशेष न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17 जून, 2023 का आदेश जारी रहेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जमानत रद्द करने के आवेदन के गुण-दोष पर सभी दलीलों को स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। निर्णय में दर्ज किए गए निष्कर्ष केवल जमानत देने के आदेश पर रोक के आदेश की न्यायोचितता एवं वैधता पर विचार करने के लिए हैं।
22. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों पर अपीलों को अनुमति प्रदान की जाती है।

मामले का परिणाम: अपीलों की अनुमति दी गई।

शीर्ष टिप्पण रचनाकार : अंकित ज्ञान

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.